राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—37 / 2015

राकेश कुमार शर्मा —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 16.05.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बसंल, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति कनिष्ठ अभियंता के पद पर दिनांक 24.11.1978 को हुई थी। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 29.10.1992 के द्वारा प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। अपीलार्थी वर्ष 1978 से अस्थायी रूप से कार्यरत था, परन्तु अपीलार्थी को नियमित नहीं किया गया, जिस पर अपीलार्थी की ओर से एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 779 / 1997 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में प्रस्तुत की गयी, जिस रिट याचिका को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 25.02.2010 के द्वारा निर्णित किया गया एवं अपीलार्थी की स्क्रिनिंग के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये एवं यह भी आदेश दिये गये कि यदि अपीलार्थी स्क्रिनिंग के पश्चात सफल पाया जाता है तो अपीलार्थी को नियमित नियुक्ति प्रदान की जाए। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के उपरान्त अपीलार्थी की स्क्रिनिंग कमेटी द्वारा स्क्रिनिंग की गयी, जिसके उपरान्त अपीलार्थी का नियमित चयन कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) के पद पर दिनांक 23.12.2011 से किया गया। अपीलार्थी की स्क्रिनिंग किये जाने के उपरान्त भी अपीलार्थी को द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान नहीं किया गया। जबकि अपीलार्थी ने कुल 33 वर्ष की सेवाएं पूर्ण कर ली थी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे कथन है कि चयनित वेतनमान दिये जाने की अधिसूचना दिनांक 25.01.1992 में दिनांक 21.10.1993 को संशोधन किया गया एवं कनिष्ठ अभियंता के सम्बन्ध में यह

प्रावधान जोड़ा गया कि कनिष्ठ अभियंताओं की 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा उनके कनिष्ठ अभियंता के पद पर लगातार सेवा की गणना करते हुए दिया जाए। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त संशोधन के अनुसार अपीलार्थी की सेवाओं की गणना प्रथम नियुक्ति की दिनांक से की जानी चाहिए, क्योंकि अपीलार्थी प्रथम नियुक्ति दिनांक से कनिष्ठ अभियंता के पद पर लगातार सेवा दे रहा है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण **एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 19959 / 2013 राजस्थान राज्य एवं मुख्य अभियंता बनाम राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर** में निर्णय दिनांक 26.08.2019 में कनिष्ठ अभिंयता के सम्बन्ध में प्रथम नियुक्ति की दिनांक से सेवा की गणना की जाकर चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने के आदेश दिये हैं। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी की ओर से यह प्रार्थना की गयी है कि अपीलार्थी की सेवा की गणना उसकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से की जाकर उसे चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 25–2–2010 की अनुपालना में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 10–5–2011 को राज्य सरकार को स्क्रिनिंग कमेटी की बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया गया, तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 23–12–2011 को स्क्रिनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गयी। स्क्रिनिंग कमेटी द्वारा अपीलार्थी का प्रत्यर्थी विभाग मे कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) डिप्लोमाधारी के पद पर दिनांक 23–12–2011 को नियमित चयन किया गया। स्क्रिनिंग कमेटी द्वारा अपीलार्थी के नियमित चयन के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21–6–2012 द्वारा अपीलार्थी के दिनांक 23–12–2011 से नियमित चयन के आदेश जारी किये। वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 8–2–1993 के अनुसार नियमित नियुक्ति से ही सेवायें चयनित वेतनमान हेतु मान्य हैं। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 1980 में कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) डिप्लोमाधारी के रिक्त पदों को दी राजस्थान इंजिनियरिंग सर्वोडिनेट सर्विस रूल्स–1973 के अन्तर्गत सीधी भर्ती से भरने हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी। जिसमें प्रत्यर्थी विभाग में अस्थायी / तदर्थ आधार पर कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं को भी आवेदन करने का अवसर उपलब्ध कराया गया ताकि विभाग में अस्थायी / तदर्थ आधार पर कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं का नियमित चयन

किया जा सके, किन्तु अपीलार्थी ने उक्त सीधी भर्ती के पदों के विरूद्व चयन हेतु आवेदन नहीं किया। अपीलार्थी का यह कथन सही नहीं है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसका नियमित चयन करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24–11–78 द्वारा अपीलार्थी को कनिष्ठ / उपअभियन्ता (यांत्रिक) डिप्लोमाधारी के पद पर अस्थायी रूप से तदर्थ नियुक्ति 3 माह अथवा चयन समिति द्वारा नियमित चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध कराये जाने तक प्रदान की गयी थी। अपीलार्थी के कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) डिप्लोमाधारी के पद पर नियमित चयन दिनांक 23–12–2011 के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अपीलार्थी की वरिष्ठता का निर्धारण कर वरिष्ठता सूची दिनांक 12–2–2013 एवं 14–10–2014 को जारी की गयी। वित्त (जी.आर.2) विभाग के आदेश दिनांक 21–10–1993 के अनुसार कनिष्ठ अभियन्ताओं को 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान के योग्य माना है और उक्त आदेश दिनांक 25–1–1992 से प्रभावी माने गये, किन्तु उक्त आदेश अपीलार्थी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि अपीलार्थी का उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में दिनांक 23–12–2011 से नियमित चयन किया गया।

3. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया।

4. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 24.11.1978 को हुई थी। अपीलार्थी को दिनांक 29.10.1992 से प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ भी प्रदान किया गया था। इस तथ्य पर भी कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी की सेवाएं स्क्रिनिंग के पश्चात नियमित की गयी, जो स्क्रिनिंग माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के उपरान्त की गयी। हम यह भी पाते हैं कि अपीलार्थी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से कनिष्ठ अभियंता के पद पर लगातार सेवा दे रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा कनिष्ठ अभियंताओं के सम्बन्ध में चयनित वेतनमान की अधिसूचना दिनांक 25.01.1992 में संशोधन आदेश दिनांक 21.10.1993 के द्वारा निम्न प्रकार से किया गया है, जो निम्न प्रकार है :–

> "The Government has been pleased to order that below para 3 of Finance Department order of even order dated 25.1.1992, an Exception shall be added as follows, namely-
>
> "Exception-
>
> The admissibility of Selection Grade to Junior Engineer would be on completion of nine, eighteen or twenty seven

years of continuous scivice on the post of Junior Engineer,"

This order shall take effect 25.1.1992. "

5. अतः कनिष्ठ अभियंता को चयनित वेतनमान का लाभ उनकी लगातार सेवा की गणना करके दिये जाने का प्रावधान रखा गया है। उपरोक्त संशोधन के आधार पर हम पाते हैं कि अपीलार्थी जो कि कनिष्ठ अभियंता के पद पर प्रथम नियुक्ति की दिनांक से लगातार सेवा दे रहा था तो दी गई उक्त लगातार सेवा चयनित वेतनमान के लिए गणना योग्य है। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण **एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 19959/2013 राजस्थान राज्य एवं मुख्य अभियंता बनाम राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर** में निर्णय दिनांक 26.08.2019 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है :–

"In all these matters, common question of law and facts are involved, hence, with the consent of the learned counsel for the parties, all these matters are decided by this common order. For convenience, the facts are taken from SBCWP No. 19959/2013.

By way of this petition, the petitioner has claimed for the following relief.

"i) by way of appropriate writ, order or directions the order dated 28th February 2013 passed by the learned Tribunal may kindly be quashed and set aside

ii) by way of appropriate writ, order or directions the appeal filed by the non-petitioner No.2 may kindly be dismissed with costs throughout."

Counsel for the State Ms. Archana, appearing for Mr. Anil Mehta, AAG, submits that the law laid down by the Hon'ble Apex Court in the matter of Jagdish Narain and Surendra Mohanot, has been followed by the Full Bench of this Court in the matter of State of Rajasthan Vs. Smt. Sudha Devi: DBSAW No.904/2016, decided on 03.07.2017, clearly stipulating that the ad hoc period of any employee cannot be allowed to be considered for the benefits of 9, 18 and 27 years of selection scale. Counsel for the State further submits that in judgments apart from the aforementioned judgments which may be holding the field, cannot be applied in the present case, where the petitioners are governed by the Circulars issued by the respondents on 17.02.1998, which supersede all the earlier Circulars passed by the respondent-State in which such benefits were being conferred upon the employee in contravention

to the basic law of selection scale. Counsel for the State also submits that a further clarification was issued by the Finance Department on 16.07.2000 whereby the exception was carved out for adhoc Junior Engineers for the reason that service of Junior Engineers was continuing against the same permanent post.

Counsel for the Junior Engineers Shri Ashok Bansal and Shri R.D. Meena, submit that the Circular dated 16.07.2000 was a conscious stand of the State which brought the Junior Engineers outside the ambit of regular law of selection scale. Counsel for the Junior Engineers further reiterated that once the State itself had taken a conscious decision diversifying from the Circular dated 17.02.1998, it was not open for the State to go back and say that the Junior Engineers were not entitled for the selection scale from the initial date of appointment. Counsel for the Junior Engineers also submitted that the Circular dated 16.07.2000 was passed in favour of Junior Engineers noticing the fact that these Junior Engineers were working against the permanent posts and discharging services akin to regular persons. Counsel for the Junior Engineers have also referred to the judgment passed by the Single Bench in the matter of Bhiya Ram Bishnoi Vs. State: SB CWP No. 14215/2013, decided on 14.2.2017, relevant portion of which reads as follows.

> "5. A look at the circular of 17.2.1998 would show that the same is a repetition of the circular dated 29.1.1992. Further the word used in the new circular is a "service shall be only regular service". On the said basis, it is argued that the services prior to the screening could not have been counted for the purpose of grant of selection grade. In this regard, it has to be noted that the Finance Department itself on 16.7.2000 has clarified its earlier circular of 1998 and had again carved out exception for junior engineers which obviously is on account of reason that the service of junior engineer was continuous against a permanent post. It is for the said reason that the screening clause was inserted in all the Engineering Departments and the observation made by this court in Shyam Sunder's case (supra) is in conformity with the circular issued from time to time by the Finance Department. Having said so, this Court is of clear opinion that the entire period of service has to be counted of the junior engineers from the date of their initial appointments as they were in the regular pay scale.
>
> 6. In view of the law which has been held by this Court in the aforesaid judgments and taking into consideration the circulars issued by the Finance Department from time to time there cannot be two opinions on the issue of considering the entire period of service of junior engineer from the date of initial appointment.

> 7. Accordingly, this writ petition is allowed. The petitioner is declared to be entitled to count his entire period of service for the purpose of grant of selection scale in terms of circular dated 25.1.1992, 20.1.1993, 17.2.1998 and 16.7.2000. The department is now directed to release the selections scale of the petitioner on completion of 9, 18 years of service and the same be paid to the petitioner along with arrears within the period of three months from date of passing of this order."

Counsel for the Junior Engineers also submitted that the judgment of Bhiya Ram (supra) has been affirmed by the Division Bench of this Court at Jodhpur in D.B. SAW No. 983/2017 decided on 4.7.2018. Counsel for the Junior Engineers also points out that the precedent law was based upon the earlier judgment passed in the matter of State of Rajasthan Vs. Kan Singh, Civil Appeal No.1118/2013 and also Shyam Sunder's case which was affirmed upto the Hon'ble Supreme Court. Counsel also submitted that the compliance of Shyam Sunder's case has been made by the respondents.

Counsel for the State Ms. Archana at this stage submits that a review petition against the judgment in Bhiya Ram (supra) is pending.

After hearing counsel for the parties, this Court is of the opinion that once the court has taken a stand pertaining to grant of selection scale benefits on completion of service of 9, 18 and 27 years to the Junior Engineers of the same Department under the same set of facts and circumstances reiterated on 14.2.2017 in the Bhiya Ram by Single Bench and upheld on 4.7.2018 in the Division Bench which are holding the field then there is no reason for the Court to distinguish from the outcome. This court is following the Single Bench and Division Bench judgment in Bhiya Ram (supra) and in case any reverse opinion is taken in the review application in the case of Bhiya Ram (supra), it shall be open for the petitioner to take appropriate remedy in accordance with law.

In the light of the aforesaid observations, the present petitions are disposed of while following the judgment of Bhiya Ram Bishnoi (supra).

Accordingly, SB CWP Nos. 19959/2013, 19973/2013 and 19974/2013 are dismissed.

SB CWP Nos. 5785/2017 and 19097/2018 are allowed in terms of judgment in Bhiya Ram (supra). It is further directed that

necessary compliance in terms of judgment in Bhiya Ram (supra) shall be made by the State within a period of six months."

6. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की गई उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम पाते हैं कि अपीलार्थी की समस्त सेवा जो कि उसके द्वारा निर्बाध रूप से कनिष्ठ अभियंता के पद पर रहते हुए दी गयी है, वह सेवा अवधि चयनित वेतनमान के लिये गणना योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति की दिनांक से उसकी कनिष्ठ अभियंता के पद पर दी गई निर्बाध सेवा अवधि की गणना की जाकर द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाए एवं अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किये जाए।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)